

२४/०६/२०२२

वकील वादी द्वारा हा.पत्र वाद पत्र  
पत्रावली नामक करने कावात पेश करने के  
कारण पत्रावली आज नियत तिथि से पूर्व  
पेश हुई। वकील वादी एवं वादी द्वारा हा.पत्र  
जेकर कर वाद विद्रो करने कावात पेश किया  
गया। अतः वादी का हा.पत्र वाद विद्रो करने  
कावात स्वीकार किया जाता है। एवं वादी का  
वाद विद्रो होने के कारण वाद को खारिज  
किया जाता है। अतः पत्रावली पेश केवल  
शुमार देकर पत्रावली नम्बर से कम है।

उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (असम)

